

राजस्थान सरकार

जरिये ई-मेल अतिआवश्यक

Government of Rajasthan

निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान

DIRECTORATE OF MINES & GEOLOGY,

खनिज भवन/Khanij Bhavan उदयपुर/Udaipur-313001

दूरभाष/Phones: 2415091-95 फैक्स/Fax: (0294) 2410526

क्रमांक:-निदे/अनिखा/पर्या/सिलिको-नीति/2019/345-406 दिनांक 11.02.2020

अतिरिक्त निदेशक खान, जोन- जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर।
अधीक्षण खनि अभियंता वृत्त- जयपुर/जोधपुर/अजमेर/भीलवाड़ा/राजसमंद/उदयपुर/बीकानेर/
कोटा/भरतपुर।

खनि अभियंता- जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/कोटा/अजमेर/बीकानेर/सिरोही/सीकर/अलवर/
आमेत/राजसमन्द-प्रथम/द्वितीय/बून्दी-प्रथम/द्वितीय/नागौर/रामगंजमंडी/झुन्झुनू/सोजतसिटी
/भीलवाड़ा/धौलपुर/बिजौलिया/चित्तौड़गढ़/मकराना/करौली/प्रतापगढ़/ब्यावर/डूंगरपुर/जालौर
/बाँसवाड़ा/श्रीगंगानगर/बाड़मेर/जैसलमेर/भरतपुर

सहायक खनि अभियंता-

सलूमबर/ऋषभदेव/टोंक/बालेसर/निम्बाहेड़ा/कोटपूतली/गोटन/झालावाड़/सवाईमाधोपुर/बांरा/
दौसा/चूरू/हनुमानगढ़/नीमकाथाना/रूपवास/सावर/


विषय :- सिलिकोसिस नियन्त्रण हेतु खान विभाग के अधिकारियों/प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के
अधिकारियों के उडन दस्ता (Flying Squad) गठन के सम्बन्ध में।

संदर्भ :-शासन पत्रांक प.12(40)खान/ग्रुप-1/2014 जयपुर, दिनांक 23.01.2019 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य में सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ितों के बचाव, उपचार एवं नियन्त्रण
हेतु राज्य सरकार द्वारा खान विभाग के अधिकारियों/प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के उडन दस्ता
(Flying Squad) गठन के सम्बन्ध में जारी आदेश दिनांक 23.01.2020 की प्रति संलग्न कर लेख हैं कि
कृपया शासन निर्देशानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

कृपया इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।



(एम.पी. मीणा)

अतिरिक्त निदेशक (खान)
(पर्यावरण एवं विकास)

क्रमांक:-निदे/अनिखा/पर्या/सिलिको-नीति/2019/407-408 दिनांक 11.02.2020

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं-

1. संयुक्त शासन सचिव, खान (ग्रुप-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके संदर्भित पत्र
दिनांक 23.01.2020 के क्रम में।
2. प्रभारी अधिकारी, डी.एम.जी.ओ.एम.एस. को प्रति प्रेषित कर लेख हैं कि इसे विभागीय वेबसाईट पर
अपलोड कराने का श्रम करावें।


(एम.पी. मीणा)

अतिरिक्त निदेशक (खान)
(पर्यावरण एवं विकास)

37
3.2.2020

राजस्थान सरकार
खान (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प.12(40)खान/ग्रुप-1/2014


जयपुर, दिनांक 23 JAN 2020

--आदेश--

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, जयपुर द्वारा विधानसभा में सिलिकोसिस पर प्रस्तुत विशेष रिपोर्ट(दिनांक 03.12.2014) के बिन्दु संख्या 54 अनुसार खान विभाग के अधिकारियों, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के उड़न दस्ता(Flying Squad) का गठन किया जाना है जो कि जिला कलक्टर के निर्देशन में कार्य करेगा।

अतः इस संबंध में सम्बन्धित जिला कलक्टर, एक प्रशासनिक अधिकारी(उप खण्ड अधिकारी), खान विभाग के एक अधिकारी एवं राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारी को लेकर समय-समय पर उड़न दस्ते का गठन कर सिलिकोसिस प्रभावित क्षेत्रों में खानों का निरीक्षण करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे एवं पर्यावरण, खान विभाग, के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने पर सम्बन्धित विभाग विधि सम्मत कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से



(भगवती प्रसाद)
संयुक्त शासन सचिव


प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक हेतु प्रेषित है:-

1. चैयरमेन, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, संस्थानिक क्षेत्र झालाना झुंगरी, जयपुर।
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि सभी अधीनस्थ कार्यालयों को उपरोक्तानुसार कार्यवाही बाबत निर्देश प्रदान करावें।
3. जिला कलक्टर(जोधपुर/करौली/भरतपुर/धौलपुर/बूंदी/नागौर/दौसा/बाडमेर)

ADM(LE 2D)

31.1.2020


31/1/2020


संयुक्त शासन सचिव